संख्या-113/2018/459/35-3-2018-1(38) /2017

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम बाउन्डरीवाल के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-महराजगंज में शासनादेश सं0 55/2018/ 148/35-3-2018-1(38)/2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 द्वारा मिनी स्टेडियम बाउन्डरीवाल के निर्माणकार्य हेतु रू. **81.70** लाख (रू. इक्यासी लाख सत्तर हजार मात्र) की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये केन्द्रांश के सापेक्ष, प्रथम किश्त के रूप में रू0 **49.02** लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । एतददवारा निम्नलिखित कार्यो की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये अवशेष देय,**राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में** रू.**32.68** लाख (रू. बत्तीस लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

(धनराशि लाख रू. मे)

विकासखंड का नाम	क्रम सं०	**परियोजना का नाम**	**प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन**	केन्द्रांश के सापेक्षअवमुक्त धनराशि	**राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि**
		कार्यदायी संस्था-आर.एन.एस.एस.			
नौतनवा	1	धौरहरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण	**81.70**	**49.02**	**32.68**
		योग	**81.70**	**49.02**	**32.68**

1- संदर्भित शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2018 की शर्ते यथावत लागू रहेगी

2- जिलाधिकारी द्वारा दिवतीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी सेमिनी स्टेडियम के निर्माण कार्यहेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की ग्रयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्व ढंग से स्वीक़त लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृदिध अनुमन्य नहीं होगी।

5- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम सग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्त़त डिजाइन/डराइग एवं तकनीकी स्वीकृति समक्ष स्तर से प्राप्त हेाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये कार्यदरायी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रो को आवश्यकतानुसानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकारण/ सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीक़त कराया जायेगा।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-11-मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतुएकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई- 5- 498(7) /दस-2018 दिनांक 31 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-113/2018/459(1)/ 35-3-2018-1(38)/2017 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, खेलकूद/सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल ।
4- महालेखाकार,प्रथम)लेखाएवं हकदारी (इलाहाबाद, उ0प्र 0महालेखाकार, लेखा परीक्षा)प्रथम एवं द्वितीय (इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- कोषाधिकारी, महराजगंज ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ सहकारिता अनुभाग-1 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) गोरखपुर मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, महराजगंज ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।